न्यायालयः अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं०-02,गाजियाबाद।

सिविल अपील सं०-51/2016

शांति देवी आदि बनाम बालस्वरूप आदि

दिनांकः16-01-2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। उत्तरदातागण पर न्यायालय द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से आदेश दिनांक 02-01-2019 के द्वारा तामील पर्याप्त मानी गयी है, किंतु उत्तरदातागण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम अपीलार्थी द्वारा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी से सदभावी भूल के कारण अपील प्रस्तुत करने की विहित समय सीमा की गणना करने में त्रुटि हो जाने के कारण, अपील समय सीमा के अंतर्गत प्रस्तुत न की जाकर विलंब से प्रस्तुत की गयी। अतः निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी से हुई सदभावी भूल को क्षमा करते हुए प्रस्तुत अपील को प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाए एवं अपील ग्रहण की जाए। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत सिविल अपील मूल वाद संख्या-2006/2007 बाल स्वरूप बनाम श्रीमती शांति देवी आदि में पारित निर्णय दिनांकित 21-03-2014 व डिक्री दिनांकित 04-04-2014 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं०-418 दिनांकित 20-02-2016 में उल्लिखित नोटिफिकेशन संख्या-35/IV-g-27/Admin.G-1 दिनांकित 05-02-2016 के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद को विधिपूर्ण निस्तारण हेतु भेजी गयी। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश से पत्रावली अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि मूल वाद में दिनांक 21-03-2014 को निर्णय पारित किया गया, जिसकी डिक्री दिनांक 04-04-2014 को बनी और अपील दिनांक 04-07-2014 को प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी को यह ज्ञात था कि अपील अवधि डिक्री बनने के दिन से समयावधि की गणना अपील हेतु की जाएगी, जिस कारण अपील प्रस्तुत करने में 04 दिन का विलंब हुआ। उल्लेखनीय है कि उक्त अपील यदि दिनांक 30-06-2014 तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती तो अपील समयावधि के अंदरर होती लेकिन अपील 04 दिन विलंब से प्रस्तुत की गयी है। विलंब का जो कारण अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र में दर्शाया गया है, वह वाद के गुण-दोष पर निस्तारण करने हेतु न्यायसंगत प्रतीत होते हैं, अन्यथा भी नैसर्गिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जाए।

उपरोक्त के आधार पर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तत करने में हुआ विलंब न्याय हित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम तद्नुसार स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा उक्त सिविल अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13-02-2019 को प्रस्तुत हो।

दिनांकः16-01-2019

(बीना चौधरी)
अपर जनपद न्यायाधीश
कोर्ट संख्या-02,गाजियाबाद।